अधिकारी

[न्यायालय नंबर] [न्या]यालय उपखण्ड .... कठूमर जिला अलवर

[अ]धिवक्ता 2/08/2021 तारीख रजू..........

हरीराम बनाम वनवारी वगैरा

[ता]रीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
07.07.2021	वकील प्रार्थी उपस्थित। यह प्रार्थना पत्र 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वकील प्रार्थी ने मूल वाद के साथ पेश किया। प्रार्थना पत्र की ताईद मे वकील सायला ने शपथ पत्र ,नकल जमाबंदी हाल पेश की व अप्रार्थीगण को पाबंद कराने का निवेदन किया. वकील सायल को एक पक्षीय सुना गया व पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अबलोकन किया गया । प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का संतुलन एवं ना पूर्ति होने वाली क्षति सायल के पक्ष में बखूबी सावित है। अतः अप्रार्थीगण जर्ये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी प. शी/तारीख तक पाबंद किया जाता है कि आराजी ख0 नम्बर 1045, 1046, 1047, वाके ग्राम अगराया व खसरा नं0 1146, 1150, 1153, 1157, 956, 969, वाके ग्राम कालवाडी तहसील कठूमर के विवादीत आराजीयात के रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति वनायें रखें। अप्रार्थीगण को नोटिस हो कि उक्त आदेश बाबत् कोई उज्र हो तो दिनांक 09.09.2021 को पेश करें कि क्यों ना उक्त आदेश को दावा के निर्णय तक स्थाई कर दिया जावे। अप्रार्थीगण जरिये नोटिस तलब हो पत्रावली दिनांक 09.09.2021 को वास्ते तलबी अप्रार्थीगण पेश हो। उपखण्ड अधिकारी (अलवर) उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)	
9/9/21	वकील प्रार्थी उप०। अप्रार्थी सैरला -2 की ओर से श्री देवेन्द्र सिंह नरूका एड० ने वकालतनामा मय जवाब प्रस्तुत किया। अप्रा० शेष तलबी जारी होकर पत्रावली वास्ते तलबी अप्रार्थी दिनांक 18/11/21 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)	N.No. 686. 28.9.21

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम की तामील
16/3/22	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील वादी ने प्रार्थना पत्र ट्रान्सफर पत्रावली हेतु लगाया। श्रवण किया गया। बहस सुनवाई प्रा० पत्र पर वकील प्रार्थी ने बहस हेतु निवेदन किया, वकील अप्रार्थी ने दौरान बहस में कहा कि वकील प्रार्थी शिकायत का आदि है बार-2 ट्रान्सफर हेतु प्रार्थना-पत्र पेश करना कोई भी उचित नहीं जान किया जा रहा है। दोनों अधिवक्ता के बहस पर मनन किया गया। प्रार्थना-पत्र खारिज किया जाता है। साथ ही प्रार्थना पत्र 212 RTA पर बहस उभयपक्ष सुनी गई। बहस उभयपक्ष अधिवक्तागण पर मनन किया गया। अतः प्रार्थना पत्र 212 RTA साबित करने में असफल रहे हैं। अतः सायल का प्रार्थना-पत्र 212 RTA खारिज किया जाता है। निर्णय पृथक से लिखाया जाकर श्रवण किया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होके बाद तकमील मूल वाद के साथ संलग्न रहे। सुनाया। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी कठूमर (...)	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री रामकिशोर मीना आर ए एस

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 02 / 108 / 2021

वउनवान

1. हरीराम पुत्र घीसा जाति ब्राहमण निवासी कालवाडी तहसील कठूमर जिला अलवर

------ सायल

बनाम

1. बनवारी पुत्र रेवती जाति ब्राहमण निवासी कालवाडी तहसील कठूमर
2. मुकेश पुत्र घीसा जाति ब्राहमण निवासी कालवाडी तहसील कठूमर
3. रमनलाल पुत्र घीसा जाति ब्राहमण निवासी कालवाडी तहसील कठूमर
4. सतीश पुत्र रेवती जाति ब्राहमण निवासी कालवाडी तहसील कठूमर
5. सव रजिस्ट्रार कठूमर तहसील कठूमर

गैरसायलान

दर0 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित :–

श्री रामजीलाल शर्मा – अधिवक्ता सायल की ओर से

श्री देवेन्द्रसिंह नरूका – अधिवक्ता गैरसायल सं0 2 की ओर से

श्री अखैसिंह गुर्जर – अधिवक्ता गैरसायल सं0 1–3–4 की ओर से

आदेश

दिनांक 16.03.2022

सायल द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि आराजी खसरा नम्बर 1045, 1046, 1047 ग्राम अगराया व खसरा नम्बर 1146, 1150, 1153, 1157, 956, 969 ग्राम कालवाडी तहसील कठूमर में स्थित है उपरोकत आराजी में 1/4 हिस्सा सायल का व शेष हिस्सा गैरसायलान का है। उक्त आराजी सायल एंव गैरसायलान की शामलात कब्जे काश्त खातेदारी की दर्ज रेकार्ड आराजी है। सायल एंव गैरसायलान के आपस में सम्बन्ध खराब हो गये है मनमुटाव हो

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

गया है जिस कारण अव सायल एंव गैरसायलान के मध्य विवदित आराजी पर शामलात में काश्त करना संभव नहीं है। सायल ने गैरसायलान से विवादित आराजी के कानूनी तकासमा वावत कहा तो गैरसायलान ने साफ इन्कार कर दिया। विवादित आराजी राजस्व रेंकार्ड में शामलात खातेदारी में दर्ज है गैरसायलान ने सायल को धमकी दी है कि हम विवादित आराजी का राजी खुसी तकासमा नहीं करायेगें और विवादित आराजी का कानूनी तकासमा कराये विना ही दीगर व्यक्तियों को रहन वय हिवा आदि द्वारा मुन्तकिल कर कब्जा करा देगें जवकि गैरसायलान को ऐसा करने का कोई हक व अधिकार नहीं है। यदि गैरसायलान अपने नापाक ईरादों में कामयाव हो गये तो सायल तवाह एंव वर्वाद हो जावेगा दीगर मुकदमा बाजी वढेगी जिससे सायल को अपार हानि होगी जिसकी पूर्ति पैसों में संभव नहीं है। अतः सायल ने प्रार्थना पत्र स्वीकार कर गैरसायलान को ता फैसला दावा पाबन्द कराने का निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर की जाकर गैरसायलान को जरिये नोटिस तलव किया गया।

गैरसायल सं0 1, 3, 4 ने हाजिर अदालत होकर अपना ईकवाल जवाव प्रार्थना पत्र पेश कर प्रार्थना पत्र के तथ्यों को स्वीकार करने का निवेदन किया। गैरसायल सं0 2 ने जवाव प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि सायल ने अपने प्रार्थना पत्र में तमाम तथ्य गलत एंव मिथ्या दर्ज कराये है सही तथ्य इस प्रकार से है कि विवादित आराजी का आज से 18 साल पूर्व ही वादी एंव प्रतिवादीगण की सहमति से घरू बंटवारा हो गया था। विवादित आराजी अवट न होकर वंटी हुई है। सायल एंव गैरसायलान के मध्य कभी कोई झगडा नहीं हुआ। पक्षकारान के मध्य कोई मनमुटाव नहीं है। सायल एंव गैरसायलान घरू वंटवारा में मिली अपने अपने हिस्सा की आराजी पर काविज रहकर काश्त कर रहे है। विवादित आराजी पर सायल एंव गेरसायलान की शामलात में काश्त नहीं है। गैरसायलान विवादित आराजी के खातेदार काश्तकार हैं जिन्हें अपने हिस्सा की आराजी को रहन वय करने का पूरा पूरा अधिकार है। मुताविक घरू वंटवारा खसरा नम्बर 969 वाके कालवाडी को खाली बाडे के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। खसरा नम्बर 956 वाके ग्राम कालवाडी पर भी सायल एंव गैरसायलान का शामलाती कब्जा है जिसमें सहमति से

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

प्लाटिंग कर रखी है। खसरा नम्बर 1046, 1045, 1047 वाके अगराया को ईकजाई करके व उसके चार हिस्सा बराबर बराबर कर इस आराजी के मध्य 10 फुट चौडा रास्ता छोडा जाकर मुताविक मौका घरू वंटवारा कर रखा है तथा समस्त आराजीयात का मौके पर घरू तकासमा हो रहा है तथा अपने अपने हिस्सा की आराजी पर काविज रहकर काश्त की जा रही है व उपयोग एंव उपभोग की जा रही है। सायल को किसी तरह का नुकशान व क्षति नहीं होती है। सायल का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

सायल ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में नकल जमाबन्दी संवत् 2076 से 2079 किता 2 की सत्यप्रतिलिपी पेश की है। जो शामिल पत्रावली है।

हमने पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड का अवलोकन किया। वकुलाय फरीकेन की वहस सुनी। अधिवक्ता सायल ने अपनी वहस में मुख्य रूप से अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को ही दोहराते हुये कथन किया कि विवादित आराजी सायल, गैरसायलान की शामलात खातेदारी में दर्ज है। अवट आराजी है जिसका कानूनी तकासमा नहीं हुआ है लेकिन अव गैरसायलान विवादित आराजी पर सायल के शामलात में काश्त में बाधा पैदा करते है तथा अवट आराज़ी को दीगर लोगों को रहन वय करना चाहते है। यदि गैरसायलान ने ऐसा कर दिया तो सायल को अपार हानि व असुविधा तथा क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी भी तरह संभव नहीं है। इस वजह से गैरसायलान को पाबन्द किया जाना जरूरी है। सायल ने अपने कथनों की पुष्टि में कानूनी नजीर आर आर टी 2010 (1) 221 से 223 व 2011(1) आर आर टी 212 पेज संख्या 212 से 214 की छाया प्रति पेश की है। जो शामिल पत्रावली है।

विद्वान अधिवक्ता गैरसायल सं0 2 ने अपनी वहस के दौरान कथन किया कि विवादित आराजी सायल एंव गैरसायलान की सहमति से आज से 18 साल पूर्व की वंटी हुई है। पक्षकारान अपने अपने हक हिस्सा व घरू वंटवारे में आई आराजी पर काविज रहकर काश्त कर रहे है। मौके पर कोई विवाद नहीं है। गैरसायलान विवादित आराजी के रेकार्डेड खातेदार काश्तकार हैं जिन्हें विवादित आराजी को रहन वय करने का पूरा पूरा अधिकार है। कुछ खेतों में बसावट हो रही है कुछ खेत बाडे के काम आ रहे है कुछ खेतों में प्लाटिंग हो रही है। सायल ने तथ्यों को छुपाकर मौंजूदा प्रार्थना पत्र पेश किया है। सायल को किसी तरह का नुकशान व क्षति नहीं होती है इस वजह से प्रार्थना पत्र सायल खारिज किया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

हमने पत्रावली के तथ्यों सायल द्वारा प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड गैरसायल सं0 2 द्वारा प्रस्तुत छाया प्रति कानूनी नजीर जवाव प्रार्थना पत्र गैरसायल सं0 1–3–4 के ईकवाल जवाव का अवलोकन किया व विद्वान अधिक्ता पक्षकारान की वहस पर मनन किया। सायल ने अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को सावित करने के लिए जमाबन्दी हाल पेश की हैं। जिसके अवलोकन से विवादित आराजी सायल एंव गैरसायलान की शामलात खातेदारी में दर्ज है लेकिन गैरसायल सं0 2 ने अपने जवाव में उक्त आराजी का 18 साल पूर्व ही सहमति से घरू वंटवारा होना कथन किया है। गैरसायलान विवादित आराजी के सह खातेदार काश्तकार दर्ज रेकार्ड है। विवादित आराजी मौके पर वंटी है या अवट ये तथ्य तो मूल वाद में मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य आने पर ही तय किये जायेगें। यदि गैरसायलान को पाबन्द कर दिया गया तो उन्हें नुकशान व क्षति होना संभव है। सायल को किस तरह का नुकशान व क्षति हो रही है सावित करने में असफल रहे है। सायल को किस तरह का नुकशान व क्षति हो रही है इस तरह की स्थिति अदालत के समक्ष नहीं है। प्रथम दृष्टा केस सुविधा का सन्तुलन एंव ना पूर्ति होने वाली क्षति तीनों विन्दु सायल के पक्ष में सावित ना होकर गैरसायलान के पक्ष में सावित है। सायल अपने प्रार्थना पत्र को सावित करने में असफल रहा है इस वजह से सायल का प्रार्थना पत्र सावित ना होने के कारण अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली पर जारी स्टे आदेश दिनांक 07.07.2021 वैकेट किया जाता है। प्रार्थना पत्र फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो वो मूल वाद के साथ संलग्न हो।

रामकिशोर मीना
उपखण्ड अधिकारी, कठूमर (अलवर)

आज दिनांक 16.03.2022 को यह आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

रामकिशोर मीना
उपखण्ड अधिकारी, कठूमर (अलवर)